

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक:एफ/अकादमी/सभा/2022/34

दिनांक : 07.11.2022

// अधिसूचना //

राज्यपाल के उप-सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजभवन, भोपाल से प्राप्त आदेश पत्र क्रमांक एफ-13-2/रा.स./यू.ए.1/05/1448 दिनांक 03 नवम्बर, 2022 के अनुसार मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपतिजी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के द्वारा प्रो. एस.के. सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय को कार्यपरिषद् में संकायाध्यक्ष श्रेणी से सदस्य नाम निर्देशित किया गया है।

एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

प्रति,

प्रो. एस.के. सिंह,
संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय,
आचार्य, वाणिज्य अध्ययनशाला,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर



कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यगण।
2. राज्यपाल के उप-सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजभवन, भोपाल।
3. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासकीय विभागाध्यक्ष, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।



सहा-कुलसचिव(अकादमी)